न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 पुनरावलोकन

1— प्रहलादसिंह आत्मज स्व0 श्री खुशीलाल (फोत) वारिसानः—

(1) कमलसिंह आत्मज स्व0 श्री प्रहलादसिंह

(2) विमलसिंह आत्मज स्व0 श्री प्रहलादसिंह निवासीगण— ग्राम बम्होरी भुआरी तहसील उदयपुरा जिला रायसेन

(3) श्रीमती लक्ष्मीबाई पुत्री स्व0श्री प्रहलादसिंह निवासिनी— ग्राम चन्दन पिपलिया तहसील सिलवानी जिला रायसेन

(4) श्रीमती कमलाबाई पुत्री स्व0श्री प्रहलादसिंह निवासिनी— ग्राम बैगनिया तहसील बरेली जिला रायसेन

(5) श्रीमती गिरजाबाई विधवा स्व0श्री प्रहलादसिंह निवासिनी— ग्राम बम्होरी भुआरी तहसील उदयपुरा जिला रायसेन

(2) निग्र 3285-PBR/15 (रायसेन)

2— प्रेमनारायण आत्मज स्व0 श्री खुशीलाल

बलवन्तसिंह आत्मज स्व0 श्री खुशीलाल (फोत)

3— शान्ताबाई बेवा बलवन्तसिंह (फोत) वारिसानः—

(1) जितेन्द्र आत्मज स्व0 श्री बलवन्तसिंह

(2) सियाबाई पुत्री स्व0 श्री बलवन्तसिंह निवासीगण—ग्राम बम्होरी भुआरी तहसील उदयपुरा जिला रायसेन ——आवेदकगण

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर रायसेन, जिला रायसेन, म0प्र0 ——अनावेदक

पुनरावलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 15/9/2015 पारित द्वारा माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (समक्ष श्री मनोज गोयल, अध्यक्ष) के प्रकरण कमांक 1239—एक/13 पुनरीक्षण व उनवान प्रहलादसिंह फोत वारिसान कमलसिंह आदि बनाम म0प्र0 शासन

माननीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3285–पीबीआर/2015 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	उभयपक्ष अधिवक्तागण को रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1239–एक/13 में पारित आदेश दिनांक 15–09–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	